



Neutral Citation No. -

2026:AHC:64708

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2222 वर्ष 2026

भोनू पांडे और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रवीण कुमार सिंह, सैयद इमरान इब्राहिम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह अग्रिम जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 224/2025 में धारा 85, 80(2), 115(2) बीएनएस और धारा 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई है। यह याचिका पुलिस स्टेशन कराड़ा, जिला गाजीपुर में दर्ज है। याचिकाकर्ताओं से अग्रिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. इस न्यायालय ने 27.02.2026 को आवेदकों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, क्योंकि माननीय एजोए को निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।
4. आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो माननीय एजीए ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक संख्या 1 और 2 मृतक के बहनोई हैं, और आवेदक संख्या 3 मृतक की सास हैं। आवेदकों का दावा है कि आवेदक संख्या 1 और 2 नाबालिग हैं, साथ ही मृतक का पति भी। मृतक अपने पति से लगभग 7 वर्ष बड़ी थी। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर के अनुसार, सह-आरोपी (पति) और पीड़िता (मृतक) का विवाह एक मंदिर में हुआ था। उनका तर्क है कि वास्तविकता यह थी कि सह-आरोपी (पति) और मृतक अच्छे दोस्त थे, और मृतक के माता-पिता, रूढ़िवादी मानसिकता के होने के कारण, मृतक को सह-आरोपी (पति) से शादी करने के लिए मजबूर किया, जो उससे कई वर्ष छोटा था। उनका तर्क है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के कारण, मृतक ने यह चरम कदम उठाया। आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

7. विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया है और तर्क दिया है कि एफआईआर में आवेदकों का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। आवेदक दहेज की मांग में भी संलिप्त थे और उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, विद्वान एजीए आवेदकों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत के किसी उल्लंघन या उनके किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख करने में असमर्थ रहे हैं।

8. मोंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

9. यह न्यायालय आवेदक संख्या 1 और 2 की नाबालिगता के संबंध में उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं करेगा। यद्यपि, प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि मृतक और उसके पति ने प्रेम विवाह किया था। यह विवाह, जो एक मंदिर में संपन्न हुआ था, दहेज की किसी भी प्रकार की मांग के साथ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दहेज की किसी विशिष्ट मांग का उल्लेख नहीं है और सभी आरोपियों पर दहेज मांगने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं (यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किस वस्तु की मांग की जा रही थी), और सभी आरोपियों को मृतक की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

9. आज दाखिल किए गए दूसरे पूरक हलफनामे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिससे पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण दम घुटने से हुई है। गर्दन पर मिले लिंगेचर के निशान के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अन्य बाहरी चोट नहीं पाई गई है। एफआईआर एक दिन की देरी से दर्ज की गई है। आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मृतक का पति जेल में है और आवेदकों का मामला मृतक के पति के मामले से अलग है, जिस पर मृतक के कल्याण की विशेष जिम्मेदारी है। आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आवेदकों को दिनांक 27.2.2026 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

11. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। यदि आवेदक-भोनू पांडे, सोनू पांडे और रेनू पांडे को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, वही शर्तें और नियम जो दिनांक 27.2.2026 के पूर्व आदेश में बताए गए हैं।

28 मार्च, 2026

(राजीव न्यायमूर्ति लोचन शुक्ला)

ए. पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"